

Ref. No. 0 83-228/ 47-746



Phone

:- 0612-2219819

:- 0612-2232377

:- biscomaun@gmail.co info@biscomaun.co.ii

य संघ सीमित

(खिटकोजान) विहार एवं झारखण्ड छठा तल, बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना-800001

No. 0123-2237 Vn=746	Date:-01/10/2024
सेवा में,	'
<u></u> ,	
विषय — समिति की सत्यापित उप—विधि की प्रति उपलब्ध करा	ने के संबंध में।
महाशय,	
अनुरोध के साथ कहना है कि आपकी समिति द्वार	ा बिस्कोमान का एक सौ शेयर या
उससे अधिक अर्थात् ₹1,00,000.00 (एक लाख रूपये) या उससे अधि	धेक की हिस्सा पूँजी धारित की गई
है। बिस्कोमान की उप—विधि की कंडिका—20 (iv) का दूसरा प	गरन्तुक के अनुसार एक सौ शेयर
(₹1,00,000.00) धारक समिति को बिस्कोमान के सामान्य निकाय में	하고 있는 아무슨 아니다. 그는 이번 그림을 살아 있는 사람들이 되는 사람들이 되었다면 하지 않아 하지만 하면 하면 하지만 하지 않아 그렇게 되었다.
है, परन्तु समिति का कार्य क्षेत्र जिला या जिला स्तर से उपर अर्थात् प्र	이 가는 사람들은 그는 사람들은 그 집에 나는 가득하게 되었습니다. 그런 이렇게 가는 것은 그 없는 것을 하고 있다.
स्पष्टतः समिति का कार्य क्षेत्र जिला या जिला स्तर से उपर अर्थातः	이 마양성도 되는 맛이 되는데 그는데 가격하하다고 그 아이들의 이 전 없이 다른데 그 가지도 있다고 그렇게 하는데 하다.
की स्थिति में समिति के प्रतिनिधि को सामान्य निकाय में सीधे प्रतिर्व	
की उप—विधि 20 (iv) का प्रावधान निम्नवत है।	
보이는 아이들이 살아보는 그리고 있었다면 하다는 사이를 가셨다는 것은 사람이다.	7 1. 7 77 7
(iv) "From the representatives of the 'A' Class share holder among themselves delegates to the General Body of the	rs in each district shall elect from Union at the rate of one for everv
three 'A' Class share holders or part thereof, subject to Provided that, representation on the General	a maximum of seven per district.
governed by the provisions of Section 38 (3) of the	ne MSCS Act. Further, out of the
delegates elected from 'A' Class share holders of a	district at least one shall be from
schedule caste or schedule tribe, if representative of t	that category is available from the

'A' Class members of the district. Provided further that Societies which belongs to Category "A", either registered under the Bihar Co-operative Societies Act, 1935 or registered under the Bihar Self Supporting Co-operative Societies Act, 1996 having area of operation for a District or Division or State level shall be entitled to send representatives directly in general body meeting if they holds a minimum of hundred shares of the BISCOMAUN".

अतः उक्त के संदर्भ में आपकी समिति के उप–विधि की आवश्यकता है। अतः दिनांक 15.10.2024 तक अपने समिति की निबंधित उप-विधि जिलान्तर्गत जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति किसी कार्य दिवस में बिस्कोमान मुख्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

सक्षम प्राधिकार के आदेशानुसार

